

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.25(2)चि.स्वा./2/2018
निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक : 20-9-18

विषय:- उप स्वास्थ्य केन्द्र भूडियावास, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर के नामाकरण की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र भूडियावास, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर का नामकरण " स्व. श्री नन्दराम शर्मा राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र भूडियावास, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

- 1- उप स्वास्थ्य केन्द्र भूडियावास, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर के निर्मित भवन का दानविलेख का निष्पादन विभाग के हित में नियमानुसार करवाया जावे।
- 2- दानदाता द्वारा निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्र भूडियावास, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर की भूमि का रजिस्ट्रेशन संबंधित उप पंजीयन कार्यालय में नियमानुसार दर्ज करवाकर मूल पट्टे सहित चिकित्सा विभाग को सुपुर्द्ध किया जावे।
- 3- उप स्वास्थ्य केन्द्र भूडियावास, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर के भवन का स्वामित्व भविष्य में राज्य सरकार का ही रहेगा।
- 4- अस्पताल का संचालन एवं प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का ही रहेगा।
- 5- Rules Regarding acceptance of Donation and Charities from private individuals of public Bodies for Medical Purpose के नियमों की पालना सुनिश्चित करावें।
- 6- उप स्वास्थ्य केन्द्र भूडियावास, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर का नामकरण " स्व. श्री नन्दराम शर्मा राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र भूडियावास, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर " रहेगा।

भवदीय,

41.7
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
9. एकल पत्रावली डी-180 दिनांक :-05.02.18
10. रक्षित पत्रावली


वरिष्ठ लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ-83/नामाकरण भूडियावास/योजना/विकास/2018/ 1276 दिनांक:- 8.10.18

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, एनएचएम, मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को भेजकर लेख है कि दानदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये भवन में उप स्वास्थ्य केन्द्र भूडियावास को संचालित करवाने की कार्यवाही करावे।
4. अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खण्ड अलवर।
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, थानागाजी (अलवर)
6. तहसीलदार (भू0अ0), कार्यालय तहसीलदार थानागाजी (अलवर)
7. श्री कल्याण सहाय शर्मा, पुत्र स्व0 श्री नन्दराम शर्मा, निवासी भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर को भेजकर लेख है कि दान स्वरूप भवन नियमानुसार संबंधित अधिकारी को सुपुर्द करावे।
8. प्रभारी, सर्वररूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को संबंधित अधिकारियों एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर